न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र संख्याः 09/2017
दायर दिनांकः 04.07.2017
निर्णय दिनांक 24.02.2025

—:अनवानः—

श्रीमती प्रेमकंवर पत्नी किशन सिंह जी जाति रावणा राजपुत उम्र 50 वर्ष निवासी भोपजी का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद **— प्रार्थी**

बनाम

1. श्री गणेश सिंह पिता हीर सिंह जी जाति रावणा राजपुत उम्र व्यस्क निवासी भोपजी का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, आमेट जिला राजसमंद

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश देवपुरा, अधिवक्ता प्रार्थी,
2— विपक्षी संख्या 01 अनुपस्थित।
3— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू—आंवटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को ग्राम भोपजी का खेड़ा पटवार हल्का लिकी तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 369 रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि किस्म बारानी द्वितीय दिनांक 13.05.2016 को अवैध एवं विधिविरूद्ध तरीके से आवंटित की गई उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 सद्भावी काश्तकार नहीं होने से आवंटन हेतु कोई पात्रता नहीं रखता है. फिर भी विपक्षी संख्या 1 के प्रार्थना—पत्र पर भूमि अवैध एवं विधि विरूद्ध तरीके से आवंटित की गई

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

है। विपक्षी संख्या 1 का उक्त आवंटित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि जो विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की गई है, उस पर कब्जा प्रार्थीया का होकर प्रार्थीया उक्त भूमि पर खा–कमा रही है। आंवटित शुदा भूमि पर उक्त आवंटन से पूर्व ही प्रार्थीया का काफी वर्षों पहले से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं प्रार्थीया ने उक्त भूमि के चारों और बाड़ कर रखी है एवं प्रार्थीया वर्तमान में भी उक्त भूमि पर काबिज होकर फसल बो रखी है, प्रार्थीया करीब 30–35 वर्षों से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त कर रही है। प्रार्थीया को कार्यालय तहसीलदार आमेट विपक्षी संख्या 2 ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस भी दिया है एवं प्रार्थीया लगातार उक्त भूमि पर फसल बो रही है, जिसका खसरा परिवर्तन निर्धारण प्रपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश है, लेकिन उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 ने कपट पूर्वक राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम पर आवंटन करा लिया, इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 ने षडयंत्र एवं कपट पूर्वक तरीके से प्रार्थीया के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि का आवंटन राज्य सरकार व प्रार्थीया को धोखा देकर करवा लिया है, जिससे भी उक्त आवंटन नियमों के प्रतिकूल होकर काबिल खारिज है। उक्त आवंटित भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को कानून की समस्त सीमाओं को लागकर कर दिया है। विपक्षी संख्या 1 ने 13.05.2016 को ही सब डिवीजनल ऑफिसर आमेट के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया एवं 13.05.2016 को ही सारी की सारी कार्यवाही करते हुए जल्दबाजी में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना विपक्षी को अनुग्रहित करने के दुराशय से आवंटित कर दी। अगर उक्त भूमि पूर्व में उद्घोषित होती तो प्रार्थीया वक्त आवंटन आपत्ति पेश कर देती एवं अपने नाम पर उक्त आवंटित भूमि के आवंटन/नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर देती। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट की है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटन अवैध एवं विधि विरूद्ध तरीके से किया गया है। विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। विपक्षी संख्या 1 के नाम पर पर्याप्त भूमि है एवं विपक्षी संख्या 1 ने तथ्यों को छुपाते हुए व्यपदेशन कर यह आवंटन कराया है, जो निरस्तनीय है। विपक्षी संख्या 1 ने आवंटन प्रार्थना–पत्र अपने आप को भूमिहीन व्यक्ति बताया है, जबकि वह भूमिहीन व्यक्ति नहीं होकर उसके नाम ग्राम भोप जी का खेडा में ही काश्त की भूमियां है। विपक्षी संख्या 1 किस आधार पर आवंटन कराने का अधिकारी है का कोई उल्लेख आवंटन प्रार्थना–पत्र में नहीं किया है तथा आवंटन प्रार्थना पत्र पर किसी साक्षी का नाम एवं हस्ताक्षर नहीं है, जो विपक्षी संख्या 1 के कथनों की ताईद करे। विपक्षी संख्या 1 को किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि होकर प्रार्थीया ने फसल बो रखी है, जिससे भी उक्त आराजी का कानूनन आवंटन नहीं किया जा सकता है। विपक्षी संख्या 1 आवंटन के लिए पात्रताधारी नहीं है। विपक्षी संख्या 1 को भूमि आवंटन से पूर्व आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई तथा जल्दबाजी में आवंटन किया गया एवं विपक्षी संख्या 2 ने भी आवंटन नियमों की पालना नहीं की। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त वर्णित आधारों पर विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 ने गलत तौर तरीके अपनाकर छल, पाखण्ड कर तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्वक धोखे में रखकर यह आवंटन कराया है तथा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है, जिससे उक्त आवंटन अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र समयावधि में पेश है। उक्त गलत आवंटन की जानकारी प्रार्थीया को दिनांक 19.06.2017 को हुई जानकारी होते ही नकल ली जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 13.05.2016 को ग्राम भोप जी का

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 369 रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि आवंटित किये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ कार्यालय का रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रकरण के विचाराधीन रहते पेशी दिनांक 07.10.2024 को अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत ने प्रकरण में NO INSTRUCTION का अंकन किया। तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी। व प्रकरण में तहसीलदार आमेट से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को नियमानुसार भूमि आवंटन की गई है। प्रार्थीया ने मिथ्या आधारों पर गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी संख्या 1 सद्भावी काश्तकार है और भूमि आवंटन हेतु पात्रता रखता है, इसी आधार पर विपक्षी संख्या 1 को नियमानुसार विधिवत रूप से भूमि आवंटित की गई है। यह गलत है कि विपक्षी संख्या 01 को आवंटित की गई भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा हो और प्रार्थीया उक्त भूमि पर खा कमा रही हो। यह भी गलत है कि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि पर पिछले 30– 35 वर्षों से प्रार्थीया का कब्जा काश्त हो और प्रार्थीया ही उक्त भूमि पर लगातार फसल बो रही हो बल्कि उक्त भूमि पर विगत कई वर्षों से विपक्षी संख्या 01 का ही कब्जा काश्त है। महज प्रार्थीया विपक्षी संख्या 01 की गोद माता होने से प्रार्थीया का नाम अतिक्रमी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया है। यह गलत है कि विपक्षी संख्या 01 ने कपट पूर्वक राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम पर आवंटन करा लिया हो। यह भी गलत है कि विपक्षी संख्या 01 ने षड्यंत्र पूर्वक एवं कपट से प्रार्थीया के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि का आवंटन राज्य सरकार व प्रार्थीया को धोखा देकर करवा लिया हो, जिससे आवंटन काबिल खारिज हो। विपक्षी संख्या 01 को आवंटन नियमानुसार किया गया है। यह गलत है कि जल्दबाजी में विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना विपक्षी को अनुग्रहित करने के इरादे से भूमि आवंटित की कर दी गई हो। यदि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया का कभी कब्जा रहा होता तो प्रार्थीया ने आज दिन तक कभी भी भूमि आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क्यों नहीं किया इसका कोई कारण प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं किया है। यह गलत है कि हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट की हो और आवंटन अवैध एवं विधि विरुद्ध तरीके से किया गया हो। यह गलत है कि विपक्षी संख्या 01 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता हो। यह भी गलत है कि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर पर्याप्त भूमि हो एवं विपक्षी संख्या 01 ने तथ्यों को छिपाते हुए व्यपदेशन कर भूमि आवंटन कराया हो और उक्त आवंटन निरस्तनीय हो। विपक्षी संख्या 01 के नाम पर पूर्व में मामूली भूमि थी, जिसका स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया है और विपक्षी संख्या 01 के नाम पर जो भूमि थी, उससे विपक्ष संख्या 01 भूमिहीन कृषक की श्रेणी में ही आता है। यह गलत है कि विपक्षी संख्या 01 भूमिहीन व्यक्ति नहीं हो। विपक्षी संख्या 01 ने भूमिहीन व्यक्ति होने के आधार पर ही भूमि आवंटन करवाया है और विपक्षी संख्या 01 के आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुष्टि पटवारी की रिपोर्ट से होती है। यह गलत है कि विपक्षी संख्या 01 को आवंटित की गई भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त हो और प्रार्थीया ने फसल बो रखी हो, इसलिए उक्त भूमि का विपक्षी संख्या 01 को आवंटन नहीं हो सकता हो बल्कि उक्त भूमि पर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थीया का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। यह गलत है कि विपक्षी संख्या 01 भूमि आवंटन के लिए पात्रता धारी नहीं हो। यह भी गलत है कि विपक्षी संख्या 01 को भूमि आवंटन से पूर्व आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई हो तथा जल्दबाजी में आवंटन किया गया हो। यह गलत है कि विपक्षी संख्या 01 को किया गया आवंटन निरस्त किए जाने योग्य हो। विपक्षी संख्या 01 ने कोई गलत तरीका नहीं अपनाया है। यह गलत है कि विपक्षी संख्या 01 ने छल पाखंड कर तथ्यों को छिपाकर कपट पूर्वक धोखे से यह आवंटन कराया हो तथा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई हो, जिससे यह आवंटन अवैध एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय हो। प्रार्थीया ने अपने पति के दबाव में आकर मिथ्या आधारों पर गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने का आदेश फरमायें।

प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 को ग्राम भोपजी का खेड़ा पटवार हल्का लिकी तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 369 रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि किस्म बारानी द्वितीय दिनांक 13.05.2016 को अवैध एवं विधिविरूद्ध तरीके से आवंटित की गई उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 सद्भावी काश्तकार नहीं होने से आवंटन हेतु कोई पात्रता नहीं रखता है. फिर भी विपक्षी संख्या 1 के प्रार्थना–पत्र पर भूमि अवैध एवं विधि विरूद्ध तरीके से आवंटित की गई है। विपक्षी संख्या 1 का उक्त आवंटित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि जो विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की गई है, उस पर कब्जा प्रार्थीया का होकर प्रार्थीया उक्त भूमि पर खा–कमा रही है। आंवटित शुदा भूमि पर उक्त आवंटन से पूर्व ही प्रार्थीया का काफी वर्षों पहले से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं प्रार्थीया ने उक्त भूमि के चारों और बाड़ कर रखी है एवं प्रार्थीया वर्तमान में भी उक्त भूमि पर काबिज होकर फसल बो रखी है, प्रार्थीया करीब 30–35 वर्षों से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त कर रही है। प्रार्थीया को कार्यालय तहसीलदार आमेट विपक्षी संख्या 2 ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस भी दिया है एवं प्रार्थीया लगातार उक्त भूमि पर फसल बो रही है, जिसका खसरा परिवर्तन निर्धारण प्रपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भी पेश है, लेकिन उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 ने कपट पूर्वक राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम पर आवंटन करा लिया, इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 ने षडयंत्र एवं कपट पूर्वक तरीके से प्रार्थीया के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि का आवंटन राज्य सरकार व प्रार्थीया को धोखा देकर करवा लिया है, जिससे भी उक्त आवंटन नियमों के प्रतिकूल होकर काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 13.05.2016 को ग्राम भोप जी का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 369 रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि आवंटित किये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि कि विपक्षी संख्या 1 को ग्राम भोपजी का खेड़ा पटवार हल्का लिकी तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 369 रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि किस्म बारानी द्वितीय दिनांक 13.05.2016 को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर आवंटित की गई एवं

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश फरमायें।

मैनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थिया श्रीमति प्रेमकुंवर पत्नी किशनसिंह रावणा राजपुत ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 का इस आधार पर प्रस्तुत किया कि ग्राम भोपजी का खेडा पटवार हल्का लिकी तहसील आमेट के वादग्रस्त आराजी नम्बर 369 रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि दिनांक 13.05.2016 को विपक्षी स.01 को आवंटित की गयी, उक्त वादग्रस्त आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 01 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थिया का वर्षों पहले से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं प्रार्थिया ने वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर फसल बो रखी है अतः वादग्रस्त भूमि का दिनांक 13.05.2016 को विपक्षी संख्या 01 को किया गया आवंटन, अवैध व विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

उक्त क्रम में उपखण्ड अधिकारी आमेट की आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि राजस्व ग्राम भोप जी का खेडा पटवार हल्का लिकी तहसील आमेट के प्रश्नगत आराजी नम्बर 369 रकबा 0.2500 हैक्टर भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 13.05.2016 को विपक्षी संख्या 01 श्री गणेशसिंह पिता हीरसिंह रावणा राजपुत को आवंटित की गयी। एवं आवंटन आदेश की शर्त संख्या 5 (क) में यह वर्णित किया गया कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों के अनुसार आवंटित भूमि काश्त नहीं करने तथा उसका उपयुक्त उपयोग नहीं करने पर भूमि बिना किसी मुआवजे का भुगतान किये बिना राज्य सरकार के पक्ष में निहित होने के दायित्वाधीन होगी।

विचारणीय प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार आमेट द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि "ग्राम भोपजी का खेडा पटवार हल्का लिकी तहसील आमेट के खसरा नम्वर 369 रखवा 0.2500 हैक्टर भूमि के मौका निरीक्षण से जाहिर आया कि उक्त खसरा नं. 369 में गेंहू की फसल की बुवाई कर रखी है मौके पर उपस्थित शंकरलाल पिता घासीराम सालवी, जगदीशचन्द्र पिता प्रताप सालवी, विक्रमसिंह पिता रामसिंह रावणा राजपुत ने बताया कि गेंहू की फसल की बुवाई श्रीमति प्रेमकुंवर पत्नी स्व. किशनसिंह रावणा राजपुत द्वारा की गई एवं प्रतिवर्ष उक्त भूमि का कृषि उपयोग इनके द्वारा ही किया जा रहा है। खसरा नं. 369 रकबा 0.2500 हैक्टर में मौके पर तीन तरफ पत्थर की पक्की दिवार बना रखी है एवं चौथी तरफ खसरा नम्बर 379 प्रेमकुंवर पत्नी किशनसिंह की भूमि स्थित है तथा आवंटन वर्ष से आज दिनांक तक उक्त खसरा पर आवंटी गणेशसिंह पिता हीरसिंह का कब्जा काश्त नहीं रहा है। मौके पर उक्त खसरा 369 में सिंचाई पडौस में स्थित खसरा नं. 379 में स्थित ट्यूबवेल द्वारा की जा रही है।" एवं रिपोर्ट के साथ संलग्न जमाबंदी अनुसार विपक्षी गणेशसिंह पिता हीरसिंह के नाम वादग्रस्त भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटित वादग्रस्त भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। जबकि आवंटन आदेश में वर्णित शर्त अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित भूमि को समुचित उपयोग व काश्त किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि पर आवंटी का आवंटन दिनांक से ही कब्जा नहीं है आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है तहसीलदार आमेट की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि मौके पर आवंटी द्वारा कभी काश्त नही की गई है एवं न ही मौके पर आवंटी का कब्जा रहा हैं। अतः आवंटी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा दिनांक 13.05.2016 को विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आमेट की मूल आवंटन पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटायी जावें। एवं तहसीलदार आमेट को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार आमेट को निर्णय की प्रति भिजवायी जावे।

24/2/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)